जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 20/2015 अनवानी प्रेमराज पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर बनाम 1–दीवानचंद पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी 58 एलएनपी तहसील पदमपुर 2– शांतिदेवी 3–रामचन्द्र 4–शंकरलाल 5–रामनिवास 6–देवीलाल 7–राधाकृष्ण 8–स्टेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.05.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 196/2003 अनवानी दीवानचंद बनाम शांति वगैरा धारा 8(2) उपनिवेशन अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर